फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री नेमीचन्द जैन
निवासी जैन धर्मशाला के पास
सिरोही रोड तह. पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 53 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29.04.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही को एक आवेदन दिनांक 12.03.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट ने जिला उद्योग केन्द्र सिरोही से दस्तावेजों पर ऋण लेने के सम्बन्ध में उपपंजीयक कार्यालय पिण्डवाडा के यहां दिनांक 24.11.1973 को गांव जनापुर में अपीलांट के भूखण्ड के सम्बन्ध में दस्तावेज मोरगेज करवाए गए थे, जिसकी रसीद संख्या 11 दिनांक 24.11.1973 को जारी की गई थी। उक्त मोरगेज दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही को एक आवेदन दिनांक 12.03.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट ने जिला उद्योग केन्द्र सिरोही से दस्तावेजों पर ऋण लेने के सम्बन्ध में उपपंजीयक कार्यालय पिण्डवाडा के यहां दिनांक 24.11.1973 को गांव जनापुर में अपीलांट के भूखण्ड के सम्बन्ध में दस्तावेज मोरगेज करवाए गए थे, जिसकी रसीद संख्या 11 दिनांक 24.11.1973 को जारी की गई थी। उक्त मोरगेज दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/2026/174 दिनांक 28.04.2026 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया है कि उपरोक्त सूचना से सम्बन्धित दस्तावेज अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण स्थिति में होने से देने योग्य स्थिति में नहीं है। अपीलांट चाहे तो रेस्पोडेन्ट कार्यालय के रिकॉर्ड का अवलोकन कर सकते है। अतः रेस्पोडेन्ट लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही के स्तर पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (रोहिताश्व सिंह तोमर) **जिला कलक्टर, सिरोही**	